E-MAIL

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक 959 /29–11(2016) दिनांक 16 अक्टूबर,2016

समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/
निजी स्नातक व परास्नातक शिक्षण संस्थाओं के प्राधानाचार्य
जनपद–बरेली

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्हता दिनांक 01–01–2017 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र/छात्राओं को जागरूक करने एवं उनके नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित करने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2017 के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं में विशेष अभियान चलाकर/शिविर आयोजित कर छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है।

उक्त कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं की अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1 समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थाओं में मतदाता पंजीकरण हेतु एक **''कोआर्डिनेटर एवं हैल्प डेक्स''** की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी की जाए। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाए ताकि पात्र छात्र/छात्राएं सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें।

2 उक्त कार्य हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का विशेष सहयोग लिया जाए और शैक्षिक संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर नामित किया जाए।

3 संस्थानों द्वारा नामित किए गए कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्ररण अधिकारियों के पास उपलब्ध करा दें ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह सम्बन्धित से सम्पर्क कर सकें।

4 प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **''वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष''** के रूप में स्थापित किया जाए। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह छात्र/छात्राओं का ऑन लाइन पंजीकरण भी कराया जाए।

5 कालेज के प्रत्येक छात्र/छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाए कि ''मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है या दिनांक 01–01–2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु फार्म भर दिया गया है''।

6 उक्त कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आवश्यक मात्रा में फार्म–6 (परिवर्धन), फार्म–7 (अपमार्जन) तथा फार्म–8 (संशोधन) प्रत्येक शिक्षण संस्था को उनकी मॉग के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

7 मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्र/छात्राओं की रैली अथवा मानव श्रृंखला जैसा कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि जनसामान्य में भी नाम पंजीकरण करने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो सकें।

8 उक्त आयोजित की जाने वाले कार्यक्रमों का फोटो/वीडियों कवरेज कराया जाए तथा इन फोटो/वीडियो कवरेज की हार्ड/साफट कापियां जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाए। जिसे जिले के फेसबुक ऐकाउन्ट पर अपलोड किया जा सकें ताकि जनसामान्य भी उन्हें देख सकें।

1- Coordinator NSS
2- Sri R. Gautam
website in upload

क्रमशः ....02.... पर

उल्लेखनीय है कि जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा सम्पूर्ण पात्र छात्र/छात्राओं की पंजीकरण कराया जाता है तो उन्हें राष्ट्रीय मतदाता दिवस (दिनांक 25–01–2017) के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित दिनांक 31–10–2016 से पूर्व करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

(एस0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बरेली।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– (1) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बरेली को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– (2) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी सभी शिक्षण संस्थाओं को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2) उप निदेशक सूचना, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का अधिक से अधिक कवरेज (विशेषकर फोटोयुक्त) का स्थानीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी एवं अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
3) समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बरेली को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो से समन्वय स्थापित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराए।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,
रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय
बरेली

आवश्यक

34

26

जिला निर्वाचन अधिकारी